संख्या:724/2023/1962/35-4-2023/001-35-4099/27/2022

प्रेषक,

राम प्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 19 जुलाई,2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद बलरामपुर में शासनादेश संख्या-71/2021/812/35-4-2021, दिनांक 25 मार्च, 2021 द्वारा अन्य कार्यों के साथ ही 'महराजगंज ललिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य से संबंधित कार्य की रू0 2220.85 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू0 555.21 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का संपूर्ण उपभोग करने के पश्चात जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा की गयी मांग के क्रम में क्रमशः शासनादेश संख्या-589/2021/2588/35-4-2021 दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त में रूपये 555.21 लाख की धनराशि, शासनादेश संख्या-100/2022/271/35-4-2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 के द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रूपये 555.21 लाख तथा शासनादेश संख्या-347/2022/1189/35-4-2022/001-35-4099/27/2022 दिनांक 26 सितम्बर, 2022 द्वारा चतुर्थ किश्त के रूप मे धनराशि रू0 444.17 लाख की धनराशि, इस प्रकार अब तक कुल रूपये 2109.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। जिलाधिकारी, बलरामपुर द्वारा अपने पत्र सं0-199/ त्व0आ0वि0यो0 2020-21/अव0धन0 मांग/ 2023-24 दिनांक 23 जून, 2023 द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ किश्त की कुल अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 2109.80 लाख (रूपये इक्कीस करोड़ नौ लाख अस्सी हजार मात्र) के उपभोग के उपरान्त कार्यपूर्णता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि रू0 111.05 लाख की धनराशि को अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः वित्त विभाग की व्यवस्थानुसार एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों से स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू0 111.05 लाख (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित सारणी के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य का नाम	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व मे अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
महराजगंज ललिया मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के अवशेष भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	2220.85	2109.80	111.05

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 25 मार्च, 2021, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 एवं दिनांक 25 मार्च, 2022 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4- कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2024 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2024 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2024 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,11,05,000 (रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्षक 5054043370303 ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक-17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या:724/2023/1962(1)/35-4-2023/001-35-4099/27/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बलरामपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलरामपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर।
13- अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम प्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।